



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-665

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 319764 दिनांक 24/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Parvinder Kaur W/o Tarsem Singh	श्री विजय कुमार चौहला पुत्र श्री ओ.एम. चौहला	174	90.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA VISTAR Sector/Block-B	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	परविन्द्र कौर पत्नी श्री तरसेम सिंह द्वारा जविप्रा की योजना रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या बी-174 क्षेत्रफल 90 व.मी. के लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या बी-174 क्षेत्रफल 90 व.मी. की लीजडीड दिनांक 31.05.2008 को श्री विजय कुमार चौहला पुत्र श्री ओ.एम. चौहला के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या बी-174 क्षेत्रफल 90 व.मी. का श्री विजय कुमार चौहला पुत्र श्री ओ.एम. चौहला द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पत्र दिनांक
18.07.2014 को
श्री बसन्त
पगारिया पुत्र श्री
निर्मल कुमार
पगारिया को
बेचान किया गया।
तत्पश्चात उक्त
भूखण्ड संख्या
बी-174 क्षेत्रफल
90 व.मी. का श्री
बसन्त पगारिया
पुत्र श्री निर्मल
कुमार पगारिया
द्वारा जरिये
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
19.10.2020 को
श्रीमती परविन्द्र
कौर पत्नी श्री
तरसेम सिंह को
बेचान किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Parvinder Kaur W/o Tarsem Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |